Bal Sansar

बाल संसार संस्था

तैयारी परियोजना

'Taiyari', a demonstration model aiming to

Planned Transitions from Adolescence to adulthood

तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रतिवेदन

(27 से 29 अगस्त 2012)

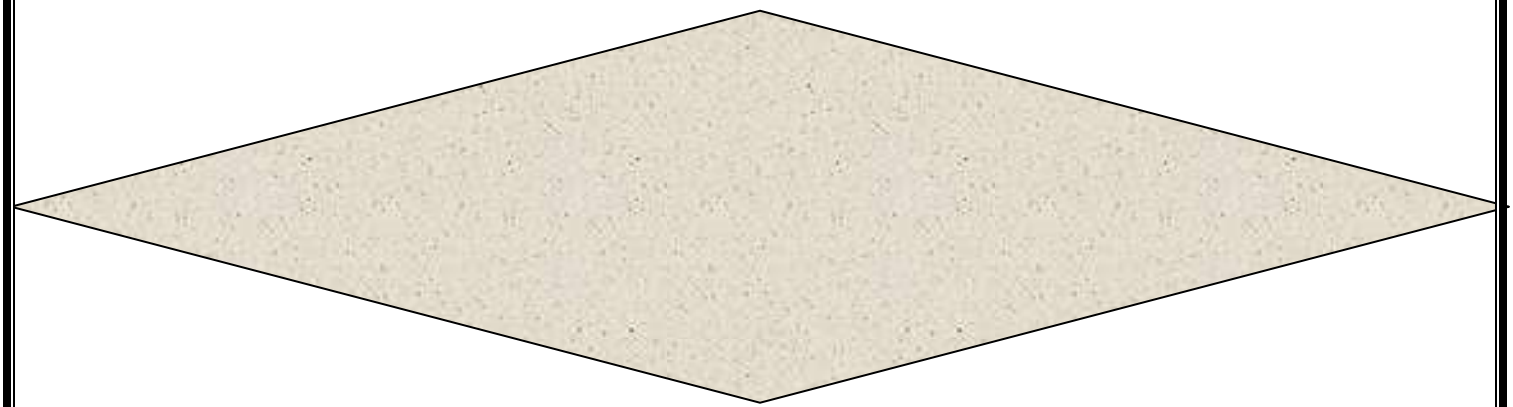

विषय – सूची

विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
पहला दिन	
पंजीयन, स्वागत, परिचय व प्रशिक्षण के उद्देश्य	3
पहला सत्र : तैयारी परियोजना के बारे में चर्चा व कार्मिको की भूमिका पर चर्चा	3–4
दूसरा सत्र : कार्यक्षेत्र के दौरान आई चुनौतियों पर चर्चा	4
तीसरा सत्र : तैयारी परियोजना की मुख्य गतिविधियों पर चर्चा, तैयारी समूह निर्माण	4
चौथा सत्र : तैयारी परियोजना की मुख्य गतिविधियों पर चर्चा	5–7
पाँचवा सत्र : मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र व अन्य प्रपत्रो पर चर्चा	7
छठा सत्र : स्वास्थ्य सम्बन्धित मुद्दो पर चर्चा	7–8
दूसरा दिन	
पहला सत्र : संवाद योजना	8
दूसरा सत्र : जीवन कौशल शिक्षा	8–9
तीसरा सत्र : सरकारी योजनाओं की जानकारी देना	10
चौथा सत्र : किशोर–किशोरियो के साथ समूह कार्य	11
तीसरा दिन	
पहला सत्र : एडवोकेसी–किट	11
दूसरा सत्र : जिला स्तरीय भागीदारी संघ पर चर्चा व संघ का गठन	12–13
प्रशिक्षण प्राप्त संभागियों का विवरण	14
अनुलग्नक विवरण	
प्रशिक्षण हेतु तय कार्यक्रम (1)	15–16
भागीदारी संघ हेतु निर्धारित कार्यक्रम (1)	17
ग्राम सूचना केन्द्र पर उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री की सूची	18
प्रेस विज्ञति (2)	19

प्रशिक्षण परिचय

तैयारी परियोजना के तहत दिनांक 27 से 29 अगस्त 2012 (3 दिवसीय) को तैयारी परियोजना तीनों जिलो के स्टॉफ की क्षमतावृद्वि हेतु प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य (**अब तक जो कार्य किया उस पर चर्चा व प्रेरणास्पद तरीके देना जिससे कार्य में तीव्रता व गुणवत्ता बढ सके**) सभी कार्मिको से उनके द्वारा अब तक किये गये कार्य के दौरान आये अवरोधो को जानना व उनकी संवाद योजना पर बल देना, इसके लिए तीन दिवसीय ऐजेण्ड़ा बनाया गया। **(अनुलंग्नक 01)**

इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण में अधिक से अधिक इस बात पर बल दिया तथा उसे किया भी गया जिसमें यह था कि तैयारी परियोजना के कार्मिको द्वारा ही सत्रो का प्रारभ किया गया तथा उन्होने अपने तरीके से जानकारीयों को एक –दूसरे के साथ बाटाँ।

प्रथम दिन

पंजीयन ,स्वागत एवं परिचय

प्रशिक्षण हेतु आए सभी संभागियों का पंजीयन किया गया इसके बाद सभी का प्रशिक्षण सन्दर्भ व्यक्ति द्वारा स्वागत करतें हुए व्यक्तिगत परिचय किया गया।

प्रशिक्षण से अपेक्षाऐ

सभी संभागियों से प्रशिक्षण के प्रति उनकी अपेक्षाओं को सामूहिक भागीदारी से जानने का प्रयास किया गया इसके लिए सभी से एक–एक करके अपेक्षाए जानते हुए उन्हें क्रमानुसार कार्डशीट पर अंकित किया गया ।

प्रशिक्षण के उद्देश्य

सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा संभागियो को प्रशिक्षण के उद्देश्य से अवगत कराते हुए बताया गया कि यह प्रशिक्षण आप सभी की क्षमताओ में बढोत्तरी व कार्य में गुणत्ता लाने के लिए दिया जा रहा है जिससे आप सभी फिल्ड में आसानी से कार्य कर सके जिससे परियोजना के कार्यो के मूल्याकंन में मदद मिलेगी।

पहला सत्र : तैयारी परियोजना के बारे में चर्चा व कार्मिको की भूमिका पर चर्चा

सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा सभी संभागीयों से जानने के बाद विस्तार से तैयारी परियोजना के बारे में बताया गय कि राजस्थान के तीन जिलों (जयपुर, अजमेंर व टोंक) में दिंनाक 15 मई 2012 से यूनिसेफ वित्तपोषित **'तैयारी'** नामक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

परियोजना का नाम एवं लक्ष्य समूहः परियोजना को "तैयारी" नाम दिया गया है । "तैयारी" एक मॉडल कार्यक्रम है जिसमें किशोरावस्था से व्यस्क होने की अवधि में 10 से 19 वर्ष के किशोर–किशोरियों को उनके आगामी जीवन को सही दिशा की ओर अग्रसर करने के संबंध में तैयार किया जायेगा।

भौगोलिक क्षेत्रः राजस्थान के तीन जिलों जयपुर, अजमेर व टोंक के तीन चयनित विकास खण्डों, जिसमें अजमेर जिले के श्रीनगर विकास खण्ड की 16 ग्राम पंचायतें, टोंक जिले के टोंक विकास खण्ड की 18 ग्राम पंचायतें तथा जयपुर जिले के झोटवाड़ा विकास खण्ड की 16 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं।

परियोजना का मुख्य लक्ष्य किशोर–किशोरियों को व्यस्क जीवन के लिए तैयार करना जिससे कि किशोरावस्था से व्यस्क होने की अवधि में हो रहे बदलावों के प्रति वे नियोजित तैयारी कर सकें तथा एक जिम्मेदार व्यक्ति के रुप में अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिये योगदान भी कर सकें।

उद्देश्यः उक्त मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निम्न **उद्देश्य** निर्धारित किये गये हैं :

- किशोर–किशोरियों के लिए साक्ष्य आधारित कार्यक्रम बनाना तथा लागू करना।
- जिला स्तर पर ऐसे भागीदारी तथा पैरवी मंचों का निर्माण करना जिसमें सरकारी विभागों, पंचायतीराज, गैर–सरकारी संस्थाओं व समुदाय आधारित सगंठनों के सदस्य सम्मलित हों तथा किशोर–किशोरियों के मुद्दों पर प्रभावी पैरवी कर सकें।
- 500 पंचायतीराज सदस्यों को जीवन कौशल, बाल अधिकार व किशोरावस्था के मुद्दों, उनसे सबंधित योजनाओं, प्रावधानों के बारे में जागरूक करना।
- 50 किशोर एवं 50 किशोरी ''तैयारी समूहों'' का निर्माण करना (प्रत्येक में 30 सक्रिय सदस्य हों)।
- किशोरों–किशारियों के अधिकारों, उनसे सबंधित राष्ट्रीय योजनाओं तथा प्रावधानों तथा मुद्दों के बारे में मीडिया, परिवार व समुदाय के प्रमुखों को प्रशिक्षित तथा जागरूक करना।

कार्मिका` की भूमिका

- आउटरीच की योजना तैयार करना एवं अमल करना ।
- लक्ष्य समूह पता लगाना, जुटाना (भागीदारी) एवं परियोजना में उनका पंजीयन करना।
- परियोजना शुरू की (प्रारंम्भिक) गतिविधियों का मासिक आधार पर अनुपालन करना।
- पंचायती राज सस्दयों, समुदाय, अभिभावकों, अन्य गैर सरकारी संस्थाओं, युवा समूह एवं अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- परियोजना अधिकारी की देख रेख में दिशा निर्दशों का पालन करते हुए समूह चर्चा आयोजित करना ।
- स्वास्थ्य एवं गैर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे शिक्षक, ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य एवं स्वछता समिति के सदस्य, एएनएम, आशा, आँगनवाड़ी कार्यकार्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- तैयारी समूहों का गठन करना एवं सुक्षम नियोजन हेतू उनकी क्षमतावृद्धि करना ।

दुसरा सत्र : कार्यक्षेत्र के दौरान आई चुनौतियों पर चर्चा

इस सत्र का मुख्य उद्देश्य कार्मिको से उनके कार्य अनुभवों को जानना साथ ही साथ कार्यक्षेत्र के दौरान आई समस्याओं को जानना ताकि उनको उचित समाधान बता सके व उनकी संवाद योजना को समझना ताकि यह समझ में आ सके कि कार्मिक गांव में जाकर अपनी संवाद योजना किस तरह से करते है जिससे उनकी संवाद योजना में सुधार कर सकें व कार्य प्रगति को जान सके।

सत्र के दौरान आई मुख्य चुनौतियों को नीचे अंकित किया गया हे तथा इन सभी चुनौतियों का निदान कार्मिको को बताया गया।

- **गाँव में बच्चे व माता पिता पूछतें है कि हमें क्या फायदा होगा।**

- **अभिभावको से चर्चा के दोरान क्या तरीका अपनाया जाये।**
- **सभी गाँवों मे तैयारी समूह के लिए किशोर–किशोरियों अशिक्षित व शिक्षित नहीं मिल रहे है।**
- **तैयारी समूह के किशोर–किशोरिया एक साथ एकत्रित नहीं होते ।**
- **किशोर–किशोरियों को एक मचं पर कैसे लाया जाय।**

तीसरा सत्र : तैयारी परियोजना की मुख्य गतिविधियों पर चर्चा, तैयारी समूह निर्माण

सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा संभागियो को मुख्य गतिविधियाँ के बारे में विस्तार से समझाया तथा उन्हें पूरा करने के लिए एक योजना निर्माण करने हेतु समझाया।

मुख्य गतिविधियाँ

- किशोर–किशोरियों की आवश्यकताओं का आंकलन एवं उनके लिये उपलब्ध योजनाओं का मानचित्रीकरण करना।
- जिला स्तर पर प्रभावी भागीदारी तथा पैरवी मंचों का निर्माण करना।
- 50 ग्राम पंचायतों में से 500 पंचायतीराज सदस्यों का किशोरावस्था के मुद्दों, योजनाओं, प्रावधानों, जीवन कौशल तथा बाल अधिकार के बारे में आमुखीकरण करना।
- 50 ग्राम पंचायतों पर सूचना केन्द्र स्थापित करना।
- 50 तैयारी समूहों का गठन कर 1500 किशोर एवं किशोरियों को संगठित/प्रेरित/प्रशिक्षित करना।
- 50 मातृ–शिशु स्वास्थ्य एंव पोषण दिवसों में भाग लेकर बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाना।
- पोषण, स्वास्थ्य व शारीरिक साफ–सफाई से सम्बधित योजनाओं तक किशोर–किशोरियों की पहुँच बढ़ाने का प्रयास करना, जैसे कि "सबला", "किशोरी शक्ति योजना" व "अर्ष" आदि।

- पैरवी–सामग्री (एडवोकेसी–किट) बनाना, समुदाय, पत्रकारों, मुख्य सरकारी विभागों, परिवारों व स्वैच्छिक संगठनों के साथ किशोर किशोरियों के मुद्दों पर पैरवी करना।
- ग्राम सभाओं, ग्राम स्वास्थ्य समितियों व आँगनवाड़ी केन्द्रों का उपयोग करते हुए ऐसे संवाद मंचों का निर्माण करना जिसमें किशोर–किशोरियों के मुद्दों के बारे में चर्चा हो, स्कूलों में बच्चों के ठहराव पर चर्चा हो, तथा किशोर–किशोरियों की शादी वैधानिक उम्र से पहले न करने पर चर्चा हो सके।
- कार्यक्रम के तहत अच्छी कहानियों, मोटीवेशन/प्रेरक तकनीकों व सफल प्रकियाओं का दस्तावेजीकरण करना जिससे अन्यत्र भी उन्हें लागू किया जा सके, अपनाया जा सके।
- तैयारी वेबसाइट बनाना व संचालित करना तथा अन्य सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स के साथ उसे जोड़ना।

चौथा सत्र : तैयारी परियोजना की मुख्य गतिविधियों पर चर्चा

एम.सी.एच.एन.डे : मातृ शिशु एवं पोषण दिवस

इस विषय पर सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा सभी संभागीयों से उनकी जानकारी को आकां गया तथा इस विषय वस्तु के बारे में बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देने हेतु मातृ एवं शिशु

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सामान्यता गुरूवार को आयोजित किये जा रहे है। यह कार्यक्रम चिकित्सा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। ए.एन.एम., आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दाई व स्वयं सहायता समूह कार्यकर्ता सभी इस दिन गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को प्रेरित कर सेवा केंद्र/स्थल पर लाते हैं।

मातृ शिशु एवं पोषण दिवस पर होने वाली गतिविधियाँ

- पूर्व मे पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच, टीकाकरण व आयरन की गोलियों का वितरण करना।
- गर्भ के दौरान जटिलताओं की पहचान करना व ऐसे मामलों में अनिवार्यतः संस्थागत प्रसव हेतु सलाह देना।
- नवजात शिशुओं का टीकाकरण हेतु पंजीयन करना।
- 0–5 वर्ष तक के बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना।
- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की जाँच, उपचार व पौष्टिक आहार की जानकारी देना।
- योग्य दम्पतियों को बच्चों में अन्तराल रखने हेतु साधनों की जानकारी देना एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत आनें वाली महिलाओं का पंजीयन करना तथा उन्हें उपलब्ध सेवाओं से जोड़ना।

उपरोक्त जानकारियाँ देने के उपरान्त सभी संभागियों को समझाया गया कि हमें सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर मातृ शिशु एवं पोषण की निगरानी का कार्य करना होगा तथा उन्हें मददगार के रूप में मदद करनी होगी तथा इस दिवस को बालिका उत्सव के रूप में मनाना होगा।

वी.एच.एस.सी कमेटी : ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति

इस विषय पर सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा सभी संभागीयों को बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के विकेन्द्रीकरण के तहत वर्ष 2008–09 में प्रत्येक राजस्व गाँव के स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है तथा ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन प्रत्येक आवासीय राजस्व गॉव में चयनित जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में किया गया है।

- ग्राम स्वास्थ्य समिति का मुख्य कार्य ग्राम स्वास्थ्य योजना का निमार्ण योजना की क्रियान्विति तथा स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना है।
- यह समितियाँ स्वास्थ्य के मुद्दों पर ग्रामीणों को जागरूक करेगीं तथा गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगीं।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक मातृ शिशु एंव पोषण दिवस पर आयोजित करने का प्रावधान रखा गया है।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में गाँव से चयनित जनप्रतिनिधि (अध्यक्ष), आशा सहयोगिनी (सदस्य सचिव), ए.एन.एम. (सदस्य), मातृत्व स्वास्थ्य समिति के प्रतिनिधि (सदस्य), स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि (सदस्य), आंगनबाडी कार्यकर्ता (सदस्य), स्थानीय गैर सरकारी संगठना के प्रतिनिधि (सदस्य) होतें है।

इसी के साथ–साथ संभी को समिति के कार्य,भूमिका व अनंटाइड फंड के बारे में विस्तार से समझाया गया।

सूचना केन्द्र स्थापित करना : सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा सभी संभागीयों को सूचना केन्द्र के बारे में बताया गया कि सूचना केन्द्र क्या होता है तथा इसका इसे क्यो बनाया जा रहा है।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किये जाने वाले ''ग्राम सूचना केन्द्रों'' VIC का उद्देश्य किशोर–किशोरियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जागरूकता, सशक्तिकरण, लैंगिक(जेंडर)–समता, सामुदायिक विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी देना है । साथ ही साथ VIC का उद्देश्य किशोर–किशोरियों को उनके लिये चलाई जा रही योजनाओं व प्रावधानों के प्रति जागरूक कर उनका लाभ उठाने हेतु प्रेरित करना भी है।

VIC के लिये ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर स्थान उपलब्ध कराया गया है। 'तैयारी' परियोजना के तहत प्रत्येक VIC पर दी जा रही सामग्री की सूची संलग्न है (जो कि VIC पर ही प्रदर्शित करने तथा पढ़ने के लिये है)। हम सामूहिक रूप से VIC के संचालन, सामग्री के रख–रखाव तथा समुचित उपयोग का स्वेच्छा से जिम्मा लेते हैं। हम सभी किशोरों तथा किशोरियों, समुदाय तथा मीडिया के प्रतिनिधियों, तथा परिवारों को प्रेरित करेगें कि ग्राम पंचायत कार्यालय में पधार कर इस VIC का लाभ उठाएं तथा किशोर–किशोरियों के समुचित विकास में भागीदार बनें। **(ग्राम स्तर पर लगाई जा रही सामग्री तालिका अनुलंग्नक 02)**

पाँचवा सत्र : मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र व अन्य प्रपत्रो पर चर्चा

इस सत्र में सन्दर्भ व्यक्ति ने कार्मिको के द्वारा दैनिक,साप्ताहिक व मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र भरने के तरीके को जाना गया व यह देखा गया कि भरने मे अधिक समस्या कहाँ आ रही है। सन्दर्भ व्यक्ति ने सभी को तीनो प्रपत्रो को भरने के तरीके बताये गये। प्रपत्रो के भरने के तरीके को समझाने के लिए सभी को एक –एक प्रतिवेदन प्रपत्र की प्रति दी गई व प्रस्तुतीकरण के कार्डशीट के माध्यम से सभी बिन्दुओ पर चर्चा की गई चर्चा के बाद सभी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रपत्र भरने को दिया गया जिसको सभी संभागियों ने प्रपत्र भरे जिनको परियोजना के साथियो ने देखा व जहॉ गलतियॉ की गई उन्हे पुनः समझातें हुए सत्र का समापन किया।

छठा सत्र : स्वास्थ्य सम्बन्धित मुद्दो पर चर्चा

- प्रजनन स्वास्थ्य
- एच.आई.वी/एड्स

प्रजनन स्वास्थ्य

सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा सभी को सत्र का परिचय कराते हुए बताया कि किशोरावस्था के दौरान किशोर/किशोरियों में विभिन्न प्रजनन अंगों का विकास प्रारम्भ हो जाता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम जाने कि प्रजनन स्वास्थ्य क्या है ? स्त्री – पुरूष के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं ? ये कैसे कार्य करते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य में स्त्री – पुरूष की बच्चे को जन्म देने की क्षमता तथा सुरक्षित गर्भधारण का महत्व निहित उपरोक्त विषयों पर इस सत्र में जानने का प्रयास किया जायेगा।

इसके बाद सन्दर्भ व्यक्ति ने कार्मिको के साथ रोचक गतिविधि करते हुए सत्र का प्रारम्भ किया और सभी को एक गोले में बिठाते हुए कहा कि एक कार्डशीट आपके पास आ रही है कार्ड शीट पर प्रजनन स्वास्थ्य शब्द बड़े–बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है।

सम्भागियों से पूछें कि ''प्रजनन स्वास्थ्य'' शब्द से उनके दिमाग में कौन–कौन से शब्द आते हैं, जो इस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इन शब्दों को कार्डशीट पर सूचीबद्ध करें।

इस तरह से सभी संभागीयों ने अपनी–अपनी समझ के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ लिखा, जिसे बाद में सन्दर्भ व्यक्ति ने एक जगह समाहित करते हुए संभागीयों को अर्थ बताया कि :

प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ

- प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि स्त्री व पुरूष बच्चा पैदा करने में सक्षम हों।
- महिलायें गर्भधारण करने में तथा सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म देने में सक्षम हों।
- प्रसव के बाद जच्चा एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें।
- अनचाहे गर्भ और यौन रोगों के डर से मुक्त होकर दम्पत्ति यौन सम्बन्ध बनाये रख सकें।

एच.आई.वी/एड्स

इस सत्र के दौरान सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा चर्चा से पूर्व सभी संभागियों से जानकारी प्राप्त ली कि उन्हे एचआईवी के बारे में कितना जानते है उसके बाद सन्दर्भ व्यक्ति ने एचआईवी –एड्स के बारे में विस्तार से बताया जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

एच.आई.वी के बारे में : एच.आई.वी एक वायरस है जो व्यक्ति को सक्रंमित करता है एच .आई वी. पॉजिटिव होने का अर्थ है कि व्यक्ति एच.आई.वी के वायरस द्वारा संक्रमित हो गया है परन्तु उसमें एड्स के लक्षणों का विकास नहीं हुआ है। लक्षण विकसित होने तक व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ्य दिखाई देता है।

एच.आई.वी फैलने के कारण –

- असुरक्षित यौन संबंध से।
- एचआईवी संक्रमित खून का प्रयोग या उपयोग करने से ।
- एचआईवी संक्रमित सूई के प्रयोग करने से।
- एचआईवी संक्रमित मां से बच्चे को गर्भावस्था, प्रसव व स्तनपान के दौरान।

एच.आई.वी से बचाव के उपाय –

- सुरक्षित यौन व्यवहार करें। (यौन संबंध बनाते समय कण्डोम का इस्तेमाल करे)
- रक्त की आवश्यकता होने पर एच.आई.वी की जाँच किया हुआ रक्त ही प्रयोग करें।
- हमेशा डिस्पोजेबल सिरींज व सुइयों का इस्तेमाल करें।
- एचआईवी संक्रमित मां यदि गर्भधारण करती है तो उसे समय–समय पर प्रशिक्षित डॉ. से सलाह लेते रहना आवश्यक है तथा प्रसव भी प्रशिक्षित डॉ. की देखरेख में ही करवाना चाहिए।

एच.आई.वी किस तरह नहीं फैलता हैं –

- एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से व एक साथ रहने से ।
- एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से ।
- एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से गले मिलने से।
- मच्छर के काटने से।

विन्डो पीरियड : तीन महिनें की वह अवधि जिसमें व्यक्ति संक्रमित तो होता है पर खून की जाँच में पता नहीं चलता, इसे ही विन्डो पीरियड कहतें है।
यदि व्यक्ति विन्डो पीरियड में है तो उसे सुरक्षित यौन संबंध बनाने की सलाह दी जाती है।

आई.सी.टी.सी (एकीकृत परामर्श व जाँच केन्द्र) :
यहाँ एचआईवी की जाचँ की जाती है तथा जाचँ हेतु आये सभी व्यक्तियो को परामर्श दिया जाता है। राजस्थान में कुल 182 जाँच केन्द्र खोले गए है।

रात्रिकालीन सत्र : दिन के सत्रों के बाद रात्रिकालीन सत्र में सभी संभागियों से दिन के दौरान हुए बिन्दुओं पर पुन चर्चा की गई व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम कियें गए तथा मौक सत्र व रोल प्लें करवाऐ गये जिसमें अलग–अलग बिन्दुओ पर कार्मिको ने रोल प्ले किये गये।

दूसरा दिन

दूसरे दिन का प्रारम्भ **तु ही राम है, तु रहीम है** प्रार्थना के साथ किया गया। पहले दिन के प्रशिक्षण के सत्रो का सभी कार्मिको के साथ दोहरान किया गया जिसमें सभी सभागियों की क्षमता को जॉचा गया कि पहले दिन के प्रशिक्षण से कितना सीखा।

पहला सत्र : संवाद योजना :

इस सत्र का मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी संभागी यह जान सकेंगें की कार्य क्षैत्र में किस तरह से संवाद करनें होगे व किन–किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे लक्षित समूह के मध्य अपनी जगह बना सके इसमें सन्दर्भ व्यक्ति ने संवाद की परिभाषा को स्पष्ट किया व संवाद करतें समय सही शब्दो का प्रयोग करना, ध्यान पूर्वक सुनना , ऑखो का सही सर्म्पक रखना व चर्चा के दौरान शारिरीक हाव– भावो का विशेष ध्यान रखना व प्रभावशाली ढग से प्रश्नो को पूछना तथा साथ ही साथ चर्चा के दौरान बीच–बीच मे सामने वाले की बात मे सहमति देना जैसे – हॉ , जी शायद आप ठीक कर रहे है तथा साथ ही साथ सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा तीन बातो पर विशेष ध्यान देने के लिए बताया कि किसी की बात को ध्यान पूर्वक सुनना, समझना व कहना। इस सत्र को अलग से व सही ढ़ग से पारिभाषित करते हुए सभी संभागीयों को रोल प्ले के माध्यम से भी सिखाया गया कि संवाद को किस तरह से बेहत्तर बनाया जा सकता है। उपरोक्त चर्चा के बाद सत्र का समापन किया गया।

दूसरा सत्र : जीवन कौशल शिक्षा

इस सत्र पर चर्चा के दौरान सबसे पहले सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा जीवन कौशल के बारे में समझाया गया कि जीवन कौशल अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिये ऐसी क्षमतायें हैं, जो व्यक्ति को रोजमर्रा के जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने का सामर्थ्य प्रदान करती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि जीवन कौशल कहे जाने वाले कौशल असंख्य है। ये कौशल बच्चों और किशोरों की बेहतरी और स्वास्थ्य के उन्नयन के लिये कौशल आधारित पहलों की आत्मा हैं।

मुख्य कौशल निम्न प्रकार है –

- स्व–जागरूकता
- समानुभूति
- चिंतन
- निर्णय लेना
- अंतर्वैक्तिक संबंध
- भावनाओं एवं तनावों से जूझना
- प्रभावी संप्रेषण

स्व–जागरूकता

स्व–जागरूकता का अर्थ है, स्वयं को पहचानना। अपनी खामियों और खूबियों को समझना एवं उनके आधार पर अपने बारे में एक सोच बनाना।

समानुभूति

समानुभूति का संधि विच्छेद करें तो आयेगा समान+अनुभूति अर्थात दूसरों की स्थितियों में स्वयं को रखकर उसका अनुभव करना। जब आप समानुभूति करते हैं उसमें आप स्वयं को अन्य व्यक्ति के स्थान पर रखते हैं और उसकी भावनाओं, चिन्ताओं या पीड़ा का अनुभव करते है।

चिंतन

सृजनात्मक चिंतन किसी भी समस्या के समाधान हेतु एवं उसमें निर्णय प्राप्त करने में मदद करता है। इस कौशल से विकल्पों की खोज की जा सकती है और उपलब्ध विकल्पों पर कार्य करना अथवा नहीं करने के परिणामों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे प्यासे कौवे की कहानी में वह कैसे अपनी प्यास बुझाता है। इस प्रकार सृजनात्मक चिन्तन से वह अपनी प्यास की समस्या का निराकरण करता है।

निर्णय लेना

यह जीवन कौशल हमें जीवन में प्रत्येक मामले में निर्णय लेने हेतु रचनात्मक रूप से सहायक होता है। इससे किशोर / किशोरियां ये जान पाते हैं कि विभिन्न निर्णय उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विभिन्न विकल्पों का आंकलन कर निर्णय ले सकते हैं।

भावनाओं एवं तनावों से जूझना

भावनाओं से जूझने हेतु अपनी एवं दूसरों की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है कि कैसे ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। हमें भावावेशों को कैसे नियंत्रित करना है, इसके लिये भी विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता है। यह जीवन कौशल किशोर / किशोरियों को इन भावावेशों को नियंत्रित करने व उनसे उबरने की सामर्थ्य प्रदान करता है।

अंतर्वैयक्तिक सम्बन्ध

एक दूसरे के साथ सकारात्मक सम्बन्ध बनाना अंतर्वैयक्तिक सम्बन्ध है। यह जीवन कौशल दूसरों से सकारात्मक तरीके से सम्बन्ध बनाने में सहायक है। इसका अर्थ है कि हम दोस्ताना रिश्ते बनाने में समर्थ है, जो कि हमारी मानसिक एवं सामाजिक बेहतरी के लिये आवश्यक है।

प्रभावी संप्रेषण

प्रभावी संप्रेषण का अर्थ है कि आप खुद को व्यक्त करने में समर्थ हैं। इसके अन्तर्गत अपनी राय, इच्छायें, जरूरतें और डर अभिव्यक्त किये जाते हैं अर्थात आवश्यकता के समय मदद और सलाह मांग सकते हैं।

इस सत्र की चर्चा के दौरान हाथीखेड़ा गाँव से भी कई किशोर – किशोरियो ने भाग लिया।

तीसरा सत्र : सरकारी योजनाओं की जानकारी देना (किशोर–किशोरियों के सम्बन्ध में)

इस सत्र में सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा संभागीयों को बताया गया कि सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाऐ किशोर–किशोरियों के लिए चलाई जा रही परन्तु उन योजनाओं के बारे में लक्षित समूह को पता नही है इस

कारण इस कार्यक्रम के तहत हमारा मुख्य कार्य यह भी रहेगा कि हम सभी को पोषण, स्वास्थ्य व शारीरिक साफ–सफाई से सम्बधित योजनाओं तक किशोर–किशोरियों की पहुँच बढ़ाने का प्रयास करवाऐगे जैसे कि "सबला", "किशोरी शक्ति योजना" व "अर्ष" आदि तथा अलग–अलग विभागों की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देगें। सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा सभी संभागीयों को सूचित किया गया कि इन सबके लिए सबसे पहले हमे जानकारी होना आवश्यक है तभी हम इस दिशा में सफल हो सकेगें, इसके लिए आप सभी को प्रशिक्षण के अन्तिम दिन सूची दि जायेगी ,जिसमें सम्बन्धित विभाग व उसके द्वारा किशोर–किशोरियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विवरण होगा।

चौथा सत्र : किशोर–किशोरियो के साथ समूह कार्य

हाथीखेड़ा गाँव के कुछ किशोर–किशोरियों को प्रशिक्षण कि दौरान आंमत्रित किया गया तथा उन्हें तैयारी कार्यक्रम से परिचित कराते हुए सभी को पूरी तैयारी टीम के साथ समूह में विभाजित किया तथा उन्हें चर्चा के लिए विषय दिया गया आपकी जुबानी,आपकी समस्याऐं या चुनौतिया जिस पर कार्य करने की प्राथमिक आवश्यकता होती है। सभी ने अपने–अपने समूह के साथ चर्चा कि तथा अन्त में उन्हीं के द्वारा समस्याओं ,चुनौतियों का दस्तावेजीकरण किया गया। व तैयारी समूह को प्राथमिक स्तर पर किन–किन मुद्दो पर कार्य करना चाहिए यह भी सामने आया।

रात्रिकालीन सत्र : दिन के सत्रों के बाद रात्रिकालीन सत्र में सभी संभागियों से दिन के दौरान हुए बिन्दुओं पर पुन चर्चा की गई व संभागीयो द्वारा चेतना गीत व अन्य कौशलो के साथ मनोरंजन करतें हुए सत्र का समापन किया गया।

तीसरा दिन

तीसरे दिन का प्रारम्भ **आओं मिलकर दीप जलाये मैया के सत्कार में** प्रार्थना के साथ किया गया।

दूसरे दिन का दोहरान :

सन्दर्भ व्यक्ति द्वारा दूसरे दिन के प्रशिक्षण के सत्रो का सभी संभागियों के साथ दोहरान किया गया जिसमें सभी सभागियों की क्षमता को जॉचा गया कि पहले दिन के प्रशिक्षण से कितना सीखा।

पहला सत्र : एडवोकेसी–किट : सन्दर्भ व्यक्ति द्वारा दूसरे दिन के प्रशिक्षण के प्रारम्भ वाले सत्र में सभी संभागीयों को एडवोकेसी किट के बारे में बताया कि यह एक प्रकार का पैरवी के लिए उपकरण तैयार किया जायेगा। जिसमें बताया जायेगा कि

- **पैरवी क्या होती है तथा क्यों आवश्यक होती है, (पैरवी के लिए मुद्दों की सूची तैयार करना)**
- **ऐडवोकेशी (पैरवी) किस के साथ करनी होगी, (हितग्राहियों की सूची तथा सर्म्पक सूत्र तैयार करने होगें)**
- **पैरवी कैसे करेगें , (मदद करने वालो की सूची तैयार करना, मददगारी तथ्यों,सबूतो को तैयार करना)**

  इस तरह से सभी संभागीयों को ऐडवोकशी किट के महत्व के बारे में बताया गया।

<u>दूसरा सत्र :</u> जिला स्तरीय भागीदारी संघ पर चर्चा व संध का गठन

सन्दर्भ व्यक्ति के द्वारा सभी संभागियों को बताया गया कि तैयारी परियोजना की एक मुख्य गतिविधी है कि तैयारी परियोजना जिन जिलो में कार्य कर रही है वहाँ एक–एक जिला स्तर पर ऐसे भागीदारी तथा पैरवी मंचों का निर्माण करना जिसमें सरकारी विभागों, पंचायतीराज, गैर–सरकारी संस्थाओं व समुदाय आधारित सगंठनों के सदस्य सम्मलित हों तथा किशोर–किशोरियों के मुद्दों पर प्रभावी पैरवी कर सकें, इसी सन्दर्भ में आज अजमेर में आज इस गठन किया जा रहा है। **(जिला स्तरीय भागीदारी संघ के प्रस्तावित ऐजेण्डा अनुलंग्नक 03 संलग्न है।)**

सभी विभागों से आये अधिकारियों व संभागियों का कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वागत किया गया तथा परिचय

सत्र के माध्यम से एक–दूसरे को जाना गया।

- सर्व प्रथम तैयारी परियोजना के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी को विस्तार से बताया गया।
- बाल संसार संस्था ,जयपुर से **डॉ. प्रियवंदा सिहं जी** ने इस जिला स्तरीय संघ के गठन व इससे अपेक्षित भूमिकाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि :

- जिला स्तर पर एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाने में सहयोग करना जिसमें ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, ग्राम स्वास्थ्य समितियों व आँगनवाडी केन्द्रों का उपयोग करते हुए ऐसे संवाद तथा विमर्श मंचों का निर्माण हो जिनमे किशोर–किशोरियों के विकास के मुद्दों के बारे में चर्चा हो।
- परिवारों में, स्कूलों में बच्चों के ठहराव पर चर्चा हो, तथा किशोर–किशोरियों की शादी वैधानिक उम्र से पहले न करने तथा बेटे–बेटी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने जैसे, विषयों पर चर्चा हो सके।
- पंचायतीराज सदस्यों, मीडिया, परिवार व समुदाय के प्रतिनिधियों का किशोरावस्था से सम्बन्धित जानकारियों तथा जीवन कौशल, बाल अधिकार व किशोरावस्था के मुद्दों, योजनाओं, प्रावधानों के बारे में आमुखीकरण व क्षमतावर्द्धन करवाने में परियोजना टीम को सहयोग प्रदान करना।
- किशोरों के अधिकारों, उनसे सबंधित राष्ट्रीय योजनाओं तथा प्रावधानों तथा मूल्यों को समझने में उनकी मदद करना तथा इसके लिए मीडिया, परिवारों व समुदाय के प्रमुखों को प्रशिक्षित तथा जागरूक करने में सहयोग करना ।
- ग्राम पंचायतों पर मातृ–शिशु स्वास्थ्य एंव पोषण दिवसों में बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाने और समुदाय के साथ बेटियों को बढ़ावा देने के मुद्दो पर चर्चा तथा प्रचार–प्रसार करवाने में सहयोग करना।
- किशोर–किशोरियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तक उनकी पहुँच को बढ़ाने का एवं उन्हें प्राप्त करवाने में सहयोग करना ।

हमारा सपना है कि किशोरों एवं किशोरियों के लिए एक ऐसे जिला स्तरीय सूचना एवं सन्दर्भ केन्द्र (नॉलेज एवं रिर्सोस सेन्टर) का निर्माण करना जिसमें उनसे सम्बन्धित सभी नीतियों, योजनाओं,कार्यक्रम दिशा निर्देशों, प्रेरक साहित्य, इन्टरनेट उपल्बधता तथा स्वस्थ्य चर्चा के लिए स्थान एवं अनुकुल वातावरण उपल्बध हो, और यह सपना आप सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है।

- इस जिला स्तरीय भागीदारी संघ के गठन के लिए भागीदारी निभाने आये स्वास्थ्य विभाग से श्रीनगर ब्लॉक सी.एम.एच.ओं श्री राजेश गुप्ता ने संस्था तथा यूनिसेफ दोनो को धन्यवाद देते हुए कहा कि किशोर–किशोरियाँ ही आगें चलकर देश निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते है तथा इनके साथ

कार्य कर इन्हें सही दिशा की और अग्रसर करने का अर्थ देश को सही राह की और अग्रसर करना साथ ही साथ संघ भागीदारी में उपस्थित सभी आशा सहयोगिनीयों, ए.एन.एम को तैयारी कार्यक्रम में सहयोग देने हेतु कहा गया व उन्होनें विश्वास दिलाया कि इस कार्य में वह तथा उनकी पूरी टीम संस्था के साथ है व किशोर –किशोरियों के लिए प्रशिक्षण हेतु भी मदद की जायेंगी।

- ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी ने विश्वास दिलाया कि वह इन सभी पंचायतो की आशाओं को इस कार्य में मदद करने के लिए पांबद कर देगें व सभी पंचायतो में जब भी स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकता होगी हम सदैव तैयार रहेगें।
- औद्योगिक क्षेत्र से व समाज सेविका श्री मती मंजु जी द्वारा बताया गया कि तैयारी परियोजना का यह कार्य निशिचित रूप से एक अनूठा प्रयास है तथा हम इस कार्य में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी सेनेटरी पेड के लिए ग्रामीण स्तर पर कई कार्यशालाएं की है इसी में मंथन संस्था समन्वय तेजाराम जी ने बताया कि इस संस्था द्वारा कई बार ग्रामीण किशोरियों को पेड बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया है।
- इस जिला स्तरीय भागीदारी संघ में भागीदारी भूमिका में आई ए.एन.एम तथा आशा सहायिका व आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया।

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संध में उपस्थिति देने आये सभी हितग्राहियों की राय व सलाह से तथा श्रीनगर ब्लॉक सी.एम.एच.ओं श्री राजेश गुप्ता से चर्चा कर आगामी सघं बैठक को श्रीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होना बताया गया तथा अतं मे सभी को धन्यवाद दिया गया।

प्रशिक्षण फिडबैक व समापन : तीन दिवसीय प्रशिक्षण का उपरोक्त सभी मुद्दो पर विस्तार से चर्चा करने के बाद व सभी लिंक वर्करो से फिडबैक प्रपत्र भरने के बाद प्रशिक्षण का समापन किया गया।

प्रशिक्षण उपस्थिति विवरण

क्र.स	नाम	गाँव /ब्लॉक का नाम	पद
01	महेन्द्र गौत्तम	लाम्बाहरिसिंह	संकुल समन्वयक
02	मालसिंह राठौड़	चाचियवास	संकुल समन्वयक
03	शिबा सैफाली	अजमेर	संकुल समन्वयक
04	लाल सिहं चौहान	अजमेर	कार्यक्रम अधिकारी
05	सत्यप्रकाश सैनी	टोंक	संकुल समन्वयक
06	सावित्री मेघंवशी	धोली	संकुल समन्वयक
07	भँवरलाल गुर्जर	प्यावड़ी	संकुल समन्वयक
08	रंजीत सिंह	टोंक	कार्यक्रम अधिकारी
09	अनिकेत चौहान	जयपुर	संकुल समन्वयक
10	बाबुलाल मौर्य	हाथोज	संकुल समन्वयक
11	पवन कुमार रेगर	हाथोज	संकुल समन्वयक
12	संगीता टेलर	मुण्डिया रामसर	संकुल समन्वयक
13	दीपक विजयसिंह	जयपुर	निरीक्षण व मूल्यांकन अधिकारी
14	महेन्द्र शर्मा	जयपुर	कार्यक्रम अधिकारी
15	जीवन राम	संबल स्टॉफ	कार्यकर्ता
16	ड़ॉ.प्रियंवदा सिंह	जयपुर	बाल संसार संस्था, चेयर पर्सन

(अनुलंग्नक 01)

बाल संसार संस्था, जयपुर

तैयारी परियोजना

(तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं जिला स्तरीय भागीदारी एवं पैरवी संघ" कार्यक्रम)

दिनांक : 27 से 29 जुलाई, 2012 स्थानः– बाल संसार संस्था,हाथीखेडा –अजमेर

प्रथम दिवस

समय	सत्र	सत्र के उद्देश्य	विधि	सन्दर्भ व्यक्ति
09:00–10:00	पंजीयन, स्वागत, परिचय प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं भूमिका	• संभागियों का स्वागत करना। • सभी संभागियो से मेल–मिलाप करना। • सभी संम्भागियों की समान समझ बनाना एवं प्रशिक्षण के उद्देश्यों को स्थापित करना ।	सामूहिक चर्चा	लाल सिंह चौहान एवं महेन्द्र गौतम
10:00–10.45	**तैयारी परियोजना के बारे में चर्चा व कार्मिको की भूमिका पर चर्चा**	• प्रतिभागियों की परियोजना के सन्दर्भ में समझ को जानना व विस्तार से समझाना। • कार्मिको को उनकी भूमिका के बारें में विस्तार से समझाना।	सामूहिक चर्चा	भॅवर लाल गुर्जर व महेन्द्र शर्मा
10:45–11:00 (चाय)				
11:00–12:00	कार्यक्षेत्र के दौरान आई चुनौतियों पर चर्चा।	• सभी प्रतिभागियों से उनके फिल्ड क्षेत्र में आई चुनौतियों को जानना। • समस्याओं का किस तरह से समाधान सम्भव, इसके लिए समझ को स्पष्ट करना।	सामूहिक चर्चा	महेन्द्र एवं रंजीत सिंह
12:00–1:00	**तैयारी परियोजना की मुख्य गतिविधियों पर चर्चा, तैयारी समूह निर्माण** • सदस्यता के बारें में चर्चा • कार्य के बारें में चर्चा • गतिविधियों के बारें में चर्चा	• तैयारी समूह के बारें में सभी प्रतिभागियों की समझ को स्पष्ट करना।	सामूहिक चर्चा	महेन्द्र शर्मा एवं अनिकेत चौहान
01:00–2:00 (भोजन)				
2:00 –3:30	**तैयारी परियोजना की मुख्य गतिविधियों पर चर्चा** • एम.सी.एच.एन.डे। **(मॉनिटरिंग के दौरान क्या करना)** • वी.एच.एस.सी कमेटी।	• प्रतिभागियों को परियोजना की सभी गतिविधियों के बारें में समझाना। • परियोजना के बेहत्तर परिणामों में सहयोगी।	समूह चर्चा व प्रस्तुतिकरण	लाल सिंह चौहान
3.30 –4.00	**तैयारी परियोजना की मुख्य गतिविधियों पर चर्चा** • सूचना केन्द्र स्थापित करना ।	• ग्राम पंचायतों पर सूचना केन्द्र स्थापित करने हेतू समझ विकसित करना । • सूचना केन्द्रो के महत्व को समझाना व पर सामग्री को कैसे लगाना है इसके बारे में विस्तार से जानकारी देना।	प्रस्तुतिकरण	रंजीत सिंह
04:00–04:15 (चाय)				
4.15 – 5.15	मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र व अन्य प्रपत्रो पर चर्चा।	• प्रतिदिन कार्य रिपोर्ट कैसे भरी जाती है इस विषय पर समझ विकसित करना । • ग्राम पंचायत प्रोफाइल, वी.एच.एस.सी प्रोफाइल, गॉव स्तरीय प्रोफाइल, तैयारी समूह प्रोफाइल पर स्टाफ की क्षमता वृद्धि करना ।	प्रस्तुतिकरण	सत्य प्रकाश सैनी व रंजीत सिंह
5.15 –6.00	**स्वास्थ्य सम्बन्धित मुद्दो पर चर्चा** • प्रजनन स्वास्थ्य • एच.आई.वी / एड्स	• प्रतिभागियों को स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी मुद्दो पर विस्तार से जानकारियाँ मिलेगी जिससे कार्यक्षेत्र के दौरान कार्य में मदद मिलेगी।	प्रस्तुतिकरण	पुष्पा प्रजापत
8.30 –10.00	**मौक सत्र** • भूमिका पर चर्चा • मुख्य गतिविधियों पर चर्चा • सम्बन्धित प्रपत्रो पर चर्चा	• संभागियों की समझ को जानना व संवाद योजना को समझना।	सामूहिक चर्चा	अजमेर टीम टोंक टीम जयपुर टीम, क्लस्टर कॉर्डिनेटर

द्वितीय दिवस

समय	सत्र	सत्र के उद्देश्य	विधि	सन्दर्भ व्यक्ति
09:00–09:30	प्रथम दिन प्रशिक्षण पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं दोहरान कराना।	• प्रतिभागियों की समझ को जानना ।	प्रस्तुतिकरण एवं समूह चर्चा	अजमेर टीम एवं रंजीत सिंह
09:30–10:30	**संवाद कौशल** • किशोर–किशोरियों के साथ किस तरह चर्चा करें। • व्यक्तिगत सम्पर्क के दौरान क्या करें, क्या न करें।	• प्रतिभागियों में संवाद योजना के बारें में स्पष्टता बनाना। • कार्यक्षेत्र के दौरान अच्छें से लक्षित समूह के साथ चर्चा करने मे मदद मिलेगी।	प्रस्तुतिकरण एवं समूह चर्चा	महेन्द्र शर्मा
10:30–12.00	हाथीखेडा, विजिट	• प्रतिभागियों की संवाद योजना को जानना व ग्राम आधारित सरकारी सेवाओं पर जाकर चर्चा करना। (आँगनवाडी केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र व ग्राम पंचायत भवन)	भ्रमण व चर्चा	लाल सिहं व अजमेर टीम
12.00 –1.30	**संवाद कौशल** हाथीखेडा विजिट पर चर्चा	• संवाद योजना पर समझ को जानना। • प्रतिभागियों की संवाद कौशल को देखना।	सामूहिक चर्चा	लाल सिहं व रंजीत सिंह
1:30–2:15 (भोजन)				
2.15 –3.30	**जीवन कौशल शिक्षा** **(आगामी जीवन के लिए महत्वपूर्ण)**	• प्रतिभागियों को जीवन कौशल शिक्षा के बारें विस्तार से समझाना।	सामूहिक चर्चा	तेजाराम (मंथन संस्था)
3.30 –4.30	किशोर–किशोरियों सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देना।	प्रतिभागियों को जिले स्तर पर एवं राज्य स्तरीय योजनाओं के बारे में बताना जिससे ग्रामीण किशोर–किशोरियें को लाभान्वित किया जा सके।	प्रस्तुतिकरण एवं समूह चर्चा	काजी आशिक
4.30 –4.45 (चाय–अन्तराल)				
4.45 –6.00	जिला स्तरीय संघ क्या है ?	• फेडरेशन क्या है, इसमें कौन कौन सदस्य होगे और उनके क्या उत्तरदायित्व होगें इसके बारे में प्रतिभागीयों की समझ को विकसित करना।	प्रस्तुतिकरण	रंजीत सिंह
8.30 –10.30	**प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम व संवाद योजना पर रोल प्ले**	**प्रतिभागियों की समझ को जानना व संवाद योजना को जानना।**	सामूहिक चर्चा	महेन्द्र व लालसिंह

तृतीय दिवस

समय	सत्र	सत्र के उद्देश्य	विधि	सन्दर्भ व्यक्ति
9:00–9:30	प्रशिक्षण के दूसरे दिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं दोहरान कराना।	• प्रतिभागियों की समझ को जानना।	सामूहिक चर्चा	टोंक टीम एवं महेन्द्र शर्मा
9:30–10:30	**एडवोकेसी–किट** • **क्या ?** • **कैसे तैयार किया जायेगा।** • **उपयोगिता।**	किशोर किशोरीयों के लिए एडवोकेसी कीट के उपयोग पर चर्चा करना एवं क्षमतावृद्धि करना ।	सामूहिक चर्चा	डॉ. प्रियंवदा सिंह
11.00 –12.00	जिला स्तरीय सूचना व जानकारी केन्द्र	• जिला स्तरीय सूचना व जानकारी केन्द्र की परिकल्पना के बारे में प्रतिभागियों की समझ बढाना।	प्रस्तुतिकरण	डॉ. प्रियंवदा सिंह
12.00–2:00	हितग्राहियों के साथ चर्चा एवं आगामी कार्यों पर बातचीत तथा जिला स्तरीय संघ बनाना।	• जिला स्तरीय भागीदारी एवं पैरवी संघ के सदस्यों के साथ किशोर किशोरियों के मुद्दों पर चर्चा कर एक जिला स्तरीय संघ बनाना।	समूह चर्चा	महेन्द्र शर्मा
01:30 – 02:30 (भोजन–अन्तराल)				
2:30–3:30	आगामी माह की कार्य–योजना तैयार करना।	• आगामी माह की कार्ययोजना बनाना और उसके नियोजन पर सभी को समझाना।	समूह चर्चा	रंजीत सिंह
3:30–4:30	प्रशिक्षण कार्यक्रम पर फीडबैक	• प्रशिक्षण के प्रति सुझाव एवं प्रतिभागियों से उनके विचार जानना ।	समूह चर्चा	महेन्द्र शर्मा
04:30 – 04:45 (चाय–अन्तराल)				
4:45–5:00	प्रशिक्षण का समापन	• सभी प्रतिभागियों का प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना एवं प्रशिक्षण समापन की घोषण करना ।	समूह चर्चा	महेन्द्र गौतम

(अनुलंग्नक 02)

ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित किये जाने वाले ग्राम सूचना केन्द्र पर उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री की सूची

क्रमांक	सामग्री/पुस्तक का नाम	संख्या	विशेष विवरण (सहयोग से)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए फ्लिप बुक	01	सेव द चिल्ड्रन
2.	आपणों स्वास्थ्य आपणो हाथ	01	
3.	आशा सहयोगिनी आँगनबाडी कार्यकर्ता	01	
4.	नगरिक स्वास्थ्य अधिकार पत्र	01	
5.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम	01	आइचैप
6.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता, यौन कर्म और पुलिस	01	
7.	आइये एच.आई.वी एवं एड्स के बारे में बातचीत करें	01	
8.	एच.आई. वी संक्रमित व्यक्तियों हेतु समुदाय एवं घर आधारित सार–संभाल एवं देखभाल निर्देशिका	01	बाल संसार संस्था
9.	एडस किसी को भी हो सकता है	01	राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी
10.	टीकाकरण	01	आइहैट
11.	ग्राम स्वास्थ्य समिति की भूमिका एव कार्य	01	
12.	मातृ–शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस	01	
13.	गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल	01	
14.	तीव्र श्वसन एवं दस्त रोग में बच्चों की देखभाल	01	
15.	नवजात शिशु की देखभाल	01	
16.	बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल	01	
17.	शिशुओं में कुपोषण	01	
18.	धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल एवं शिक्षा	01	
19.	एचआईवी/एड्स की मूल बातें	01	आइहैट
20.	एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र (आई.सी.टी.सी)		
21.	क्या आप भी एचआईवी/एड्स संबंधी गलतफहमी के शिकार है ? ये गलतफहमी क्या है ?	01	
22.	यौन संक्रमण (एस.टी.आई)	01	
23.	क्या आप जोखिम में हैं?	01	
24.	क्या आपको पता है ?	01	
25.	मुझे सच्चाई बताएं एचआईवी/एड्स के बारे में ।	01	राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी
26.	ग्राम स्वास्थ्य हेतु ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा चर्चा के बिन्दु	01	बाल संसार संस्था
27.	ग्राम स्वास्थ्य समिति के दिशानिर्देश	01	
28.	मेरी जिंगदगी का एक कोना	01	
29.	फ्लैक्स, तैयारी परियोजना परिचय	01	
30.	फ्लैक्स – किशोरों एवं किशोरियों के लिए उपलब्ध कार्यक्रम एवं योजनाएं	01	
31.	फ्लैक्स – बाल अधिकार	01	
32.	हमारे अधिकार	01	IMDT & Shaktivahini

(अनुलंग्नक 03)

बाल संसार संस्था, अजमेर

तैयारी परियोजना

(जिला स्तरीय भागीदारी एवं पैरवी संघ कार्यक्रम)

दिनांक : 29 जुलाई, 2012 **स्थानः– बाल संसार संस्था,हाथीखेडा –अजमेर**

क्र.स.	समय	गतिविधी	वार्ताकर्ता
01.	दोपहर, 12.15 से 12.30	स्वागत व परिचय	लालसिंह चौहान
02.	12.30 से 1.30 तक	तैयारी परियोजना का परिचय व पैरवी संघ क्यो व संघ की भूमिका ?	ड़ॉ. प्रियवंदा सिंह
03	1.30 से 2.30 तक	तैयारी परियोजना हेतु मार्गदर्शन (खुली चर्चा)	शिक्षा विभाग औधोगिक क्षेत्र स्वास्थ्य विभाग, पंचायतीराज विभाग नेहरू युवा केन्द्र गैर सरकारी संगठन
04	2.30 से 2.40	धन्यवाद	लाल सिंह चौहान
05	**2.40 से (दोपहर भोजन)**		

(अनुलंग्नक 04)

जिला स्तरीय भागीदारी एवं पैरवी संघ कार्यक्रम की प्रेस न्यूज

बाल संसार संस्था की बैठक आज

अजमेर। बाल संसार संस्था की बैठक बुधवार को सुबह 11.30 बजे फॉयसागर रोड हाथीखेड़ा स्थित संस्था के कार्यालय में होगी। बैठक में जिला स्तर पर किशोर-किशोरियों के भावी जीवन को उज्ज्वल बनाने की भागीदारी पर संघ के निर्माण पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

भागीदारी संघ का गठन

अजमेर। बाल संसार संस्था फॉयसागर रोड, हाथीखेड़ा में तैयारी परियोजना के तहत जिला स्तरीय भागीदारी संघ बनाया गया। लाल सिंह चौहान ने बताया कि संघ किशोरों के अधिकारों व उनसे संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं की जानकारी किशोर व किशोरियों को देगा।